पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जनवरी, 2022 ई0 (पौष 11, 1943 शक सम्वत्) [संख्या–01

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	01–23	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	01–06	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	01–02	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

समाज कल्याण अनुभाग–2

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 1576/XVII-2/21/1(20)/2013–वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–824/29(150)2016/XXVII(1)/2021 दिनांक–15 सितम्बर, 2021 के क्रम में समाज कल्याण विभाग में प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण (डी.बी.टी) योजनाओं के एंड टू एंड डिजिटाइजेशन एवं "उमंग" प्लेटफार्म पर ऑन–बोर्ड क्रियान्वयन हेतु उत्तराखण्ड आधार एक्ट, 2017 के अन्तर्गत विभाग की निम्नलिखित योजनाओं को अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क.स.	विभाग के अन्तर्गत डी.बी.टी के माध्यम से संचालित योजनाओं का विवरण	
1	पेंशन योजनायें	1–वृद्वावस्था पेंशन
		2–विधवा पेंशन
		3–दिव्यांग पेंशन
		4–किसान पेंशन
		5–परित्यक्ता पेंशन
2	छात्रवृत्ति योजनायें	1–अनुसूचित जाति कक्षा(1–8) छात्रवृत्ति योजना
		2–अनुसूचित जाति कक्षा(9–10) छात्रवृत्ति योजना
		3–अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
		4–अन्य पिछडा वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना
		5–अन्य पिछडा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
		6–आर्थिक रूप से पिछडें वर्ग के विद्यार्थियों हेतु डा0 अम्बेडकर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना
		7–दिव्यागों के लिए छात्रवृत्ति योजना
3–	राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	
4–	निराश्रित विधवाओं को उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना	
5–	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनकी पुत्रियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना	
6–	अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम,1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955 योजना	

आज्ञा से,

एल. फैनई,
प्रमुख सचिव।

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

01 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 22/नो0एल0/XXXVI-A-1/2021-03नो0एल0/2011–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज कुमार, अधिवक्ता को दिनांक 01–12–2021 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री राज कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

राजेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification **No. 22/No-L/XXXVI-A-1/2021-03 No.-L/2011** Dated December 01, 2021.

NOTIFICATION

Appointment

December 01, 2021

No. 22/No-L/XXXVI-A-1/2021-03 No.-L/2011-- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Raj Kumar, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 01-12-2021 for Tehsil Haldwani, District Nainital and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Raj Kumar be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

RAJENDRA SINGH,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

26 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या 1226/XXVIII-1/01(19)2020–रिट याचिका संख्या–539 ऑफ 2021 तथा रिट याचिका संख्या–554 ऑफ 2021 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2021 के अनुपालन में कोविड–19 से मृत्यु का शासकीय दस्तावेज निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–C.18018/11/2021-DMCell दिनांक 03.09.2021 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के प्रस्तर–3(IV) के क्रम में मृत्यु के कारण का चिकित्सकीय प्रमाण–पत्र उपलब्ध न होने अथवा मृतक के परिजनों द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र में उल्लिखित मृत्यु के कारण से संतुष्ट न होने की स्थिति में कोविड–19 से मृत्यु का शासकीय प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु राज्य के प्रत्येक जनपद में अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. अपर जिलाधिकारी। — अध्यक्ष
2. मुख्य चिकित्साधिकारी। — सदस्य
3. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी। — सदस्य
   अथवा
   जिले में अवस्थित मेडिकल कॉलेज (यदि कोई हो तो) के प्रधानाचार्य अथवा विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग।
4. संबंधित विषय विशेषज्ञ। — सदस्य

2– उपरोक्तानुसार गठित समिति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निम्न प्रक्रिया का अनुपालन करेगी:–

i. मृतक का परिजन कोविड–19 से मृत्यु का प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा।

ii. उपरोक्तानुसार गठित समिति सभी तथ्यों का समुचित परीक्षण एवं सत्यापन किये जाने के उपरान्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त वर्णित पत्र दिनांक 03.09.2021 के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर कोविड–19 से मृत्यु का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेगी।

iii. कोविड–19 से मृत्यु के प्रमाण–पत्र की प्रति राज्य के मुख्य निबन्धक, जन्म एवं मृत्यु को प्रेषित की जायेगी।

iv. उपरोक्तानुसार गठित समिति मृतक के परिजनों की शिकायतों का भी परीक्षण करेगी तथा तथ्यों के सत्यापन के पश्चात् संशोधित सरकारी दस्तावेज निर्गत किये जाने सहित अन्य आवश्यक उपचारात्मक उपाय हेतु संस्तुति करेगी। यदि समिति द्वारा आवेदक के पक्ष में निर्णय नहीं दिया जाता है, तो इस हेतु सुस्पष्ट कारण इंगित किया जायेगा।

v. कोविड–19 से मृत्यु का सरकारी दस्तावेज एवं शिकायतों का निवारण आवेदन/शिकायत प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर किया जायेगा।

आज्ञा से,

पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव।

चिकि. स्वा. एवं चिकि. शिक्षा अनुभाग–2

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

27 अक्टूबर, 2021 ई०

संख्या 826/XXVIII-2-2021-18/2015 टी0सी0–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत मुख्य भेषजिक (चीफ फार्मासिस्ट) वेतनमान रू0 56100–177500 पे–मैट्रिक्स लेवल–10 के पद पर मौलिक रूप से कार्यरत निम्नांकित कार्मिकों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर नियमित चयनोपरांत प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) वेतनमान रू0 67700–208700 पे–मैट्रिक्स लेवल–11 के रिक्त पदों पर कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुए कॉलम–04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0सं0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती स्थान
01	02	03	04
01	श्री पी0 सी0 जोशी।	जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ।	जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ।
02	श्री लीलाम्बर तिवारी।	सी0 एम0 एस0 डी0 स्टोर अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, उधमसिंहनगर।	बेस चिकित्सालय, श्रीनगर, पौडी गढ़वाल।
03	श्री एच0 सी0 तिवारी।	सामु0 स्वा0 केन्द्र, रामगढ़, नैनीताल।	बेस चिकित्सालय, अल्मोडा।
04	श्री पी0 सी0 रिखाड़ी।	एल0 डी0 भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर, उधमसिंहनगर।	जिला चिकित्सालय, पौड़ी गढ़वाल।
05	श्री मनोज पाण्डे।	सी0 एम0 एस0 डी0 स्टोर अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोडा।	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
06	श्री आर0 बी0 नौटियाल।	मैक्लारेन कुष्ठ चिकित्सालय, देहरादून।	जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग।
07	श्री अनिल कुमार रतूडी।	सामु0 स्वा0 केन्द्र, चकराता, देहरादून।	जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर, चमोली।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

3. उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वे तत्काल नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करते हुए कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव।

गृह अनुभाग–1

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 1290/XX-1/2021-01(63)2016–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्याः 1, वर्ष 2008) की धारा 3 सपठित धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस सेवा नियमावली, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(2) <u>मुख्य आरक्षी</u>– (1) मुख्य आरक्षी के 50 प्रतिशत पदों पर भर्ती आरक्षी जिनकी चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो तथा जिनकी पुलिस विभाग में मौलिक नियुक्ति की तिथि से कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो, के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा/प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से। (2) 50 प्रतिशत ऐसे आरक्षियों में से जिन्होने चयन वर्ष की प्रथम तिथि को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर।	5(2) <u>मुख्य आरक्षी</u>– आरक्षी नागरिक पुलिस/ अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/ अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों पर शत्–प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर ऐसे आरक्षी में से जिन्होंने चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, को संवर्गवार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पदोन्नति द्वारा।

नियम 24 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 24 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
24. मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति पात्र आरक्षियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से की जायेगी:– (क) पदोन्नति के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय परीक्षा द्वारा भरी जाएगी। केवल ऐसे आरक्षी (पुरूष/महिला), जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हुई हो, विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार होंगे।	24. मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति पात्र आरक्षियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति से की जायेगी:– (क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के शत् प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी पुलिस में से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
(ख) पदोन्नति के लिए निर्धारित 50 प्रतिशत रिक्तियां अनुपयुक्त को छोडते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन द्वारा भरी जायेगी। विभागीय परीक्षा/प्रान्तीय योग्यता परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति की विस्तृत प्रकिया (मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना हेतु **परिशिष्ट–6** एवं मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस हेतु **परिशिष्ट–7**) में और अनुपयुक्त को छोडते हुये ज्येष्ठता (नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस हेतु) के माध्यम से परिशिष्ट– 8 में दी गयी है।	(ख) मुख्य आरक्षी के रिक्त पदों पर शत् प्रतिशत पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर <u>परिशिष्ट–8</u> में दी गयी प्रकिया के अनुसार किया जायेगा।

नियम 27 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 27 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
27(क) किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। पदोन्नति प्रक्रिया के समय नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के कर्मियों की ज्येष्ठता सूची संवर्गवार तैयार की जायेगी। (ख) विभागीय चयन परीक्षा से चयनित मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता प्रवीणता सूची के आधार पर तैयार की जायेगी। (ग) एक ही चयन वर्ष में विभागीय चयन परीक्षा से नियुक्त मुख्य आरक्षी एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनो स्रोतों के लिये निहित कोटा के अनुसार चक्रानुक्रम (प्रथम स्थान ज्येष्ठता से पदोन्नत व्यक्ति का होगा) में निर्धारित किये जाने का प्राविधान भी किया जायेगा। (घ) मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थी की सेवा की गणना पी0टी0सी0 प्रशिक्षण अवधि के प्रारम्भ से की जायेगी।	27(क) किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। पदोन्नति प्रकिया के समय नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस के कर्मियों की ज्येष्ठता सूची संवर्गवार तैयार की जायेगी। (ख) उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के नियम 6 के अनुसार मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता मौलिक पद की ज्येष्ठता के अनुसार यथावत् रहेगी। (ग) मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थी की सेवा की गणना पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण अवधि के प्रारम्भ से की जायेगी।

परिशिष्ट 6 का लोप

5. मूल नियमावली के परिशिष्ट 6 का लोप किया जायेगा।

परिशिष्ट 7 का लोप

6. मूल नियमावली के परिशिष्ट 7 का लोप किया जायेगा।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the **"Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 1290/XX-1/2021-01(63)2016** Dated November 23, 2021 for general information.

NOTIFICATION

November 23, 2021

No. 1290/XX-1/2021-01(63)2016-- In exercise of the powers conferred by section 3 and sub-section (1) of section 87 and section 13, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Police Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police) Service Rules, 2018:-

The Uttarakhand Police Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police) Service (Second Amendment) Rule, 2021

Short title and commencement	1.	(1) These rules may be called the Uttarakhand Police Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police) Service (Second Amendment) Rules, 2021. (2) It shall come in to force at once.
Amendment in rule 5	2.	In the Uttarakhand Police Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the principal Rules), for the existing sub rule (2) of rule 5 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rule here by substituted**
5(2) Head constable-(1) The recruitment of the 50 percent of the vacancies of Head Constable shall be made by promotion through a departmental examination held amongst the constables who must have not attained the age of 45 years on the first day of selecection year and must have rendered at least 05 years of complete years on the post of constable. (2) The remaining 50 percent of the vacancies shall be made from amongst such, who have completed 5 year of service as such on the first date of the selection year, on the basis of seniority subject to rejection of unfit.	5(2) Head Constable- 100 percent vacancies of Head Constable Civil Police/Intelligence and Armed police shall be made by promotion from amongst the constable of Civil Police/Intelligence and Armed Police who have completed the service of 05 years on first date of selection year on the basis of seniority cadre wise by rejecting the unfit.

Amendment of rule 24 3. In the Principal rules for the existing rule 24 as set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rule here by substituted
24. The promotion to the post of Head Constable shall be done from amongst the eligible candidates through promotion as under:-	24. The promotion to the post of Head Constable shall be done from amongst the eligible candidates through promotion as under:-
(a) 50 Percent vacancies to be filled through departmental exam only those candidates who have not completed 45 years of age shall be entitled for departmental exam.	(a) 100 percent post of total sanctioned post of Head Constable shall be made from amongst such substantially appointed police constable who have completed 5 year of service including probation period as such on the first date of the selection year, on the basis of seniority subject to rejection of unfit.
(b) 50 percent of the remaining post for promotion shall be filled by selection on the basis of seniority subjected to rejection of unfit. The detailed procedure for selection process to the post of Head Constable through departmental test (for Head Constable Civil Police and Intelligence in Annexure-6 and for Head Constable Armed Police in Annexure 7)and on the basis of seniority (Civil police and Intelligence and Armed Police) leaving behind the unfit as given in Annexure-8).	(b) Promotion on 100 percent vacancy on post head constable on the basis of seniority rejecting the unfit shall be done according to procedure given in Annexure 8.

Amendment of rule 27 4. In the Principal rules, for the existing rule 27 as set out in column I rules as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rule here by substituted
27(a) The seniority of the persons appointed substantively shall be determined on the basis of the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules,2002 as amended from time to time.	27(a) The seniority of the persons appointed substantively shall be determined on the basis of the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules,2002 as amended from time to time.

At the time of promotion process etc. a cadre wise seniority list shall be prepared for the employees of Civil Police, Intelligence and Armed Police.	At the time of promotion process etc. a cadre wise seniority list shall be prepared for the employees of Civil Police, Intelligence and Armed Police.
(b) Seniority of Head Constable selected/ appointed on the basis of Departmental Selection Exam shall be prepared on the basis of merit list of examination.	(b) According to rule 6 of the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules,2002 seniority of Head Constable shall remain as it is according to seniority of substantive post.
(c) In a selection year seniority of Head Constable appointed on the basis of departmental promotion and seniority shall be prepared by the Head Constable selected through departmental exam by promotion in that condition their seniority wherever possible shall be determined on the basis of quota fixed, for both the sessions, in cyclic order the first place shall be given to the person appointed by promotion. (d) Service of the candidate selected for the post of Head Constable shall be calculated from starting of P.T.C training period.	(c) Service of the candidate selected for the post of Head Constable shall be calculated from starting of P.T.C training period.

Omission of Annexure 6 5. In the Principal rules Annexure 6 shall be omitted.

Omission of Annexure 7 6. In the Principal rules Annexure 7 shall be omitted.

अधिसूचना

24 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 1298/XX-1/2021-01(69)2016–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्याः 1, वर्ष 2008) की धारा 3 सपठित धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2021" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना) सेवा नियमावली, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है), में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 5 के उपनियम अ(1), अ(2) एवं अ(3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:–	5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी:–
अ. उप निरीक्षक–	अ. उप निरीक्षक–
(1) चौंतीस (34) प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा ।	(1) पचास (50) प्रतिशत पदों को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(2) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/ अभिसूचना के पुरूष/ महिला मुख्य आरक्षी/ आरक्षी एवं सशस्त्र पुलिस के आरक्षी से तैंतीस (33) प्रतिशत विभागीय पदोन्नति परीक्षा द्वारा :–	(2) पचास (50) प्रतिशत पदों को अनुपयुक्त को छोडकर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति के माध्यम से निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/ अभिसूचना के पुरूष/महिला मुख्य आरक्षी से संवर्गवार पदोन्नति द्वारा।
(क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन पुरूष/ महिला आरक्षी ने इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	(क) ऐसे मुख्य आरक्षी, नागरिक पुलिस/ अभिसूचना (पुरूष/ महिला) जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को मुख्य आरक्षी के पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 45 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।

(ग) विगत 5 वर्षों का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षों में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 5 वर्षो में कोई लघु दण्ड न मिला हो एवं विगत 5 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, दंडित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/विवेचनाधीन/विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित किया जाता है तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग परीक्षा प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियां मोहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जांच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के

(ख) विगत 5 वर्षों का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 5 वर्षों में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 5 वर्षो में कोई लघु दण्ड न मिला हो एवं विगत 5 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, दंडित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत/ विवेचनाधीन/ विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित किया जाता है तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा। यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/ अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही /अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियां मोहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जांच/ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

पश्चात् ही निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा ।

टिप्पणी– उप निरीक्षक (अध्यापक) का पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निरीक्षकों मे से सेवा अन्तरण के द्वारा भरा जायेगा, जिन्होने पैडागाजी (शिक्षा शास्त्र) पाठ्यक्रम व समय–समय पर सरकार द्वारा यथाविहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

(3) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले नागरिक पुलिस/अभिसूचना के पुरूष/ महिला मुख्य आरक्षी से तैंतीस (33) प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर (संवर्गवार) पदोन्नति द्वारा :–

(क) ऐसे मुख्य आरक्षी पुरूष/महिला जो उपनिरीक्षक का वेतनमान प्राप्त कर चुके हों तथा मुख्य आरक्षी के पद पर प्रशिक्षण अवधि के प्रारम्भ से इस पद पर 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं।

(ख) विगत 5 वर्षों का सेवा अभिलेख सन्तोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों में कोई लघु दण्ड न मिला हो एवं विगत 5 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, दंडित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो, अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लम्बित हो तथा अभियोग न्यायालय में पंजीकृत / विवेचनाधीन / विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मी को भी उक्त पदोन्नति हेतु सशर्त

टिप्पणी– उप निरीक्षक (अध्यापक) का पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निरीक्षकों मे से सेवा अन्तरण के द्वारा भरा जायेगा, जिन्होने पैडागाजी (शिक्षा शास्त्र) पाठ्यक्रम व समय–समय पर सरकार द्वारा यथाविहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है तो संबंधित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके संबंध में विचार किया जायेगा तथा उनके संबंध में संस्तुतियां मोहरबन्द लिफाफे में रखी जायेंगी। जांच/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अंतिम निर्णय होने के पश्चात् निर्णय के सादृश्य संबंधित कर्मी का मोहरबन्द लिफाफा खोला जायेगा।

नियम 15 का लोप

3. मूल नियमावली के नियम 15 का लोप कर दिया जायेगा।

नियम 18 का संशोधन

4. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 18 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
18(1) नियम 5 अ(3), 5 ब, 14 एवं 15 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगा।	**18(1)** नियम 5 के उपनियम अ(3) और ब एवं नियम 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेगा।

नियम 21 का संशोधन

5. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 21 के उपनियम (2)(ख) और (2)(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
21(2)(ख). सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उप	**21(2)(ख).** सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उप निरीक्षकों की ज्येष्ठता

निरीक्षक एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षा से चयनित उप निरीक्षक की अन्तिम ज्येष्ठता सूची अपने–अपने संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विभागीय चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत तथा प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत को जोडकर संवर्गवार तैयार की जायेगी।	चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत तथा प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत को जोडकर संवर्गवार तैयार की जायेगी तथा ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत किये गये उप निरीक्षकों की ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के अनुसार होगी।
21(2)(ग). एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे। परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा विभागीय परीक्षा से पदोन्त एवं ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत उप निरीक्षक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहां तक हो सके तीनों स्त्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुक्रम में (प्रथम ज्येष्ठता, द्वितीय विभागीय परीक्षा से पदोन्नत एवं तृतीय सीधी भर्ती से नियुक्त उप निरीक्षक) निर्धारित की जायेगी।	**21(2)(ग).** एक भर्ती वर्ष की रिक्ति के सापेक्ष चयनित तथा एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षक पूर्ववर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से कनिष्ठ तथा पश्चातवर्ती प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किये समस्त उप निरीक्षकों से ज्येष्ठ होंगे। परन्तु यह कि यदि सीधी भर्ती तथा ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नत उप निरीक्षक एक ही प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो उस दशा में उनकी ज्येष्ठता जहां तक हो सके दोनों स्रोतों के लिए विहित कोटा के अनुसार चकानुकम में (प्रथम स्थान ज्येष्ठता एवं द्वितीय स्थान सीधी भर्ती से नियुक्त उप निरीक्षक) निर्धारित की जायेगी।

परिशिष्ट 5 का लोप 6. मूल नियमावली के परिशिष्ट 5 का लोप किया जायेगा।

आज्ञा से,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the **"Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **No. 1298/XX-1/2021-01(69)2016** Dated November 24, 2021 for general information.

NOTIFICATION

November 24, 2021

No. 1298/XX-1/2021-01(69)2016-- In exercise of the powers conferred by section 3 and sub-section (1) of section 87 of Uttarakhand Police Act, 2007, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Police Sub Inspector and Inspector (Civil Police/ Intelligence) Service Rules, 2018:-

The Uttarakhand Police Sub-Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence Service) (Second Amendment) Rules, 2021

Short title, extend and commencement	1.	(1) These rules may be called the Uttarakhand Sub Inspector and Inspector (Civil Police/Intelligence Service) (Second Amendment) Rules, 2021 (2) It shall come in to force at once.
Amendment in rule 5	2.	In the Uttarakhand Police Sub Inspector and Inspector(Civil Police/Intelligence) Service Rules, 2018 (hereinafter referred to as the principal Rules), for the existing sub rule A(1), A(2) and A(3) of rule 5 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column 1 **Existing rule**	**Column 2** **Rules here by substituted**
Recruitment to the various posts in the service shall be made from the various sources:- **(A) Sub-Inspector** (1) 34 Percent posts through recruitment.	Recruitment to the various category in the service shall be made from the following sources:- **(A) Sub-Inspector** (1) 50 percent posts by direct recruitment through the Uttarakhand Subordinate Selection Commission.
(2) 33 percent posts shall be filled by promotion on the basis of departmental examination of such male and female head/constable employees of civil police/intelligence fulfilling the following eligibility criteria:- (a) Such male/female constable must have completed five years of service as on the first day of the year of recruitment. (b) Must not have attained the age of 45 years on the first day of the year of recruitment.	(2) 50 percent by cadre wise promotion on the basis of seniority amongst male/female head constables of civil police/intelligence by rejecting the unfit, who fulfill the following criteria:- (a) Such head constable, civil police / intelligence (male/female) who have completed five years of service as on the first day of the year of recruitment. (b) The service records for the last five years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found to be recorded and integrity should not have been withheld during the last 5

(c) The service records for the last five years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found to be recorded and integrity should not have been withheld during the last 5 years. If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed of the departmental proceeding is undergoing against any such employee then said employee shall be allowed to appear conditionally for the above the promotional exercise, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed/rejected of he is punished in the departmental proceedings/prosecution, the concerned employee shall be removed from the promotional process at that stage itself, however , if the appeal/departmental proceedings/ prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then the result of such employee will be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision.

Note:- The post of sub-inspector (Teacher) shall be filled from amongst such sub-inspectors by transfer of service, who have completed pedagogy syllabus and have attained training in the prescribed syllabus conducted by the State Government from time to time.

(3) 33 percent promotion on the basis of seniority (cadre wise) out of such male/female head constables of civil police/intelligence fulfilling the following criteria:

(a) Such male/female head constables, who have drawn the pay-scale of Sub-inspector and have completed five years service since starting of training period on the post of Head Constable.

years. If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed of the departmental proceeding is undergoing against any such employee then said employee shall be allowed to appear conditionally for the above the promotional exercise, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed/rejected he is punished in the departmental proceedings/prosecution, the concerned employee shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings/ prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then the result of such employee shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision.

Note:- The post of sub-inspector (Teacher) shall be filled from amongst such sub-inspectors by transfer of service, who have completed pedagogy syllabus and have attained training in the prescribed syllabus conducted by the State Government from time to time.

(b) The service records for the five years must be satisfactory i.e. no any adverse entry is found and to be recorded, integrity should not have been withheld during the last 5 years. If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceedings is undergoing against any such employee then the said employee shall be allowed to appear conditionally for the above promotional exercise, but if during promotional process, the appeal of such employee is dismissed/rejected or he is punished in the departmental proceedings/prosecution, the concerned employee shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings/prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then such candidate may be considered on the basis of other document and recommendation regarding them shall be kept in a sealed envelope. The sealed envelope may be opened after the decision of enquiry/departmental proceedings as per their decision.

Omission of rule 15 3. In the Principal rules, rule 15 shall be omitted.

Amendment of rule 18 4. In the Principal rules, for the existing sub rule (1) of rule 18 as set out in column I rules as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
18(1) Subject to the provisions of Rules 5-A(3), 5(B), 14 and rule 15, the appointment authority shall make appointment of the selected candidate.	**18(1)** Appointing Authority shall appoint the selected candidate under the provision of sub-rule A(3) and B of rule 5 and rule 14.

Amendment of rule 21 5. In the Principal rules, for the existing sub rule 21 as set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rules here by substituted
21(2)(b) Final seniority list of selected Sub-Inspector by direct	**21(2)(b)** Seniority of Sub-Inspectors selected through direct recruitment shall be prepared cadre

recruitment and selected Sub-Inspector from department promotion and 50% the marks obtained in departmental selection examination and 50% of the marks obtained in training after completing the training successfully by the selected candidates.	wise by adding 50 percent of the percentage of marks obtained in the selection examination and 50 percent of marks obtained in training after training completed successful in training institute and shall be promoted on basis of seniority and seniority of the sub-inspectors promoted on the basis of seniority shall be according seniority of their feeding cadre
21(2)(c) All the Sub-Inspectors who have undergone the training in one training session shall be junior to the Sub-Inspector who have taken training in the session prior to them and the recruits who have taken training in the later session shall be deemed senior to all the Sub-Inspector.	**21(2)(c)** All Sub-Inspectors selected against the vacancy of one recruitment year and trained in one training session are junior to all sub-inspectors trained in foregoing training session and senior to trained Sub-Inspectors of later session.
Provided that if, the Sub-Inspectors selected through direct recruitment and by promotion have taken training in the same session then in that condition their seniority wherever possible shall be determined on the basis of quota fixed, for both the session in cyclic order the first place shall be given to the person appointed by promotion.	Provided that if Sub-Inspectors selected through direct recruitment and by promotion have taken training in the same session then in that condition their seniority wherever possible shall be determined on the basis of quota fixed, for both the source in cyclic order the first place shall be given to the person appointed by promotion (first place seniority and second place to appointed through direct recruitment Sub-Inspectors).

Omission of Annexure 5 **6.** In the Principal rules, Annexure 5 shall be omitted.

By Order,

Dr. RANJEET KUMAR SINHA,

Secretary.

गृह अनुभाग–03

अधिसूचना

29 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 342/XX-3/2021-2(39)/2006–राज्यपाल, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016 की धारा–26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा नियमावली प्रख्यापित होने तक उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा के निम्न बिन्दुओं पर शिथिलता प्रदान करते हुए सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण रूप से प्रवृत्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. समस्त आवासीय भवन जो 15 मी0 या इससे ऊंची होंगी तथा औद्योगिक/व्यवसायिक (कवर्ड एरिया 5,000 वर्ग मी0 से अधिक हो) और विस्फोटक एवं तीव्र ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना अनिवार्य है।

2. 15 मीटर से कम ऊंचाई के भवनों हेतु अग्निशमन विभाग स्वतः ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र की बाध्यता नहीं करेगा, किन्तु विकास प्राधिकरणों अथवा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि का पालन करवाने वाली संस्थाओं द्वारा मांगे जाने पर अग्निशमन विभाग अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

3. परन्तु अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा के दृष्टिकोण से उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016 की धारा–17 कतिपय भवनों और परिसर के सम्बन्ध में उपबन्ध के पैरा (1) के, ऐसे भवनों में अग्नि रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा के उपायों की पर्याप्तता को अभिनिश्चित करने के लिए निरीक्षण कर सकता है, तथा अपर्याप्तता की पूर्ति के लिए नोटिस जारी करेगा, जिस हेतु सम्बन्धित भवन स्वामी अथवा अधिभोगी अपर्याप्तता की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किये जाने हेतु सम्बन्धित भवन/संस्थान/भण्डारण अथवा जो भी लागू हो, को अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा हेतु सम्बन्धित मानक जो भी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा विहित किये गये है, के अनुपालन पर ही प्रदान किया जायेगा।

5. परन्तु अग्निशमन विभाग द्वारा अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र से छूट का तात्पर्य यह नहीं है कि सम्बन्धित भवनों अथवा भण्डारण हेतु अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा एवं जीव रक्षा के मानकों को शिथिल माना या समझा जाये।

6. अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र जब तक रद्द नही किया जाता है, तब तक उसके जारी होने की तारीख से आवासीय भवनों के लिए 5 वर्ष (होटल को छोड़कर) तथा अन्य व्यवसायिक भवनों तथा औद्योगिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल, हॉस्पिटल, वेयर हाउस, पैट्रोलियम एवं विस्फोटक भण्डारण आदि के लिए 03 वर्ष के लिए ही वैध होगा, वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व पुनः नवीनीकरण किया जाना होगा, जैसा कि सरकार या निदेशक द्वारा समय–समय पर तय किया गया है और अग्नि सुरक्षा प्रमाण–पत्र में परिलक्षित होगा।

7. परन्तु यह कि निदेशक, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के परिस्थितिगत वर्णित वैधता अवधि को, कारणों का परीक्षण एवं अध्ययन कर विशेष प्रकार के भवन अथवा परिसर के लिए सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा कम कर सकता है।

8. परन्तु यह कि अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता को प्रति छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति सन्तोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व–घोषणा प्रमाण पत्र/Self Audit Report प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।

9. यदि उपरोक्त अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित भवन या अधिभोग के आकार, प्रकृति, प्रयोजन या स्थान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है, तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से,

डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा,
सचिव।

सूचना अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप/प्रोन्नति आदेश

30 नवम्बर, 2021 ई0

संख्या 401/XXII(2)/2021-04(4)2010–सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना अधिकारी, वेतन लेवल–7, रू0 44900–142400 (वेतनमान रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4600) में कार्यरत श्री प्रकाश सिंह भण्डारी को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक के पद पर वेतन लेवल–10, रू0 56100–177500 (वेतनमान रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 5400) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव।

आवास अनुभाग–1

अधिसूचना

08 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 855/V-1/2021-39(आ0)/2019–उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत प्रस्तावित आवास परियोजनाओं ग्राम उकरौली तहसील सितारगंज तथा ग्राम कनकपुर–काशीपुर को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा–28 की कार्यवाही उपरान्त आपत्तियों का निस्तारण कर धारा–32 में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित किये जाने हेतु निम्नवत् परियोजनाओं को निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:–

1. आवासीय परियोजना ग्राम उकरौली तहसील सितारगंज जिला ऊधमसिंह नगर– खसरा नं0–47/1मि0, 50, 48/2मि0, 49/2मि0, 49/2मि0, क्षेत्रफल 2.929 हे0।

2. आवासीय परियोजना ग्राम कनकपुर–काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर– खसरा नं0–51, 52मि0 क्षेत्रफल 2.8339 हे0।

शैलेश बगौली,
सचिव।

गृह अनुभाग–3

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

18 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या 277/XX-3/2021-08(4)/2011–उत्तराखण्ड पुलिस दूरसंचार शाखा के अधीन पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) से अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) के परिणामी रिक्त पद हेतु उत्तराखण्ड लोक आयोग, हरिद्वार में आयोजित चयन समिति की बैठक के उपरान्त आयोग के पत्र संख्याः 91/88/04 डी0पी0सी0(अ0पु0अ0)/सेवा–1/2021–2022, दिनांक 27.09.2021 द्वारा प्राप्त संस्तुति के दृष्टिगत श्री विपिन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) को अपर पुलिस अधीक्षक (पुलिस दूरसंचार) वेतनमान रू0 15600–39100 (ग्रेड पे–6600) लेवल–11 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त अधिकारी उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) सेवा नियमावली, 2020 के नियम–3 (1) में निर्धारित 15 दिवस के भीतर पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
2. उक्त अधिकारी नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।

2– उक्त पद पर नवीन तैनाती हेतु पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

अतर सिंह,

अपर सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4

कार्यालय–ज्ञाप

22 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्या 998/XXVIII-4-2021-05(घो0)/2021–मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा संख्या–358/2021 के अनुपालन में जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दियूरी का नाम निम्नवत् परिवर्तित किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

घोषणा संख्या	वर्तमान नाम	परिवर्तित नाम
358/2021 दिनांक 24.07.2021	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दियूरी, खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर।	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री बिशन सिंह मुडिला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दियूरी, खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर।

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,

अपर सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01

अधिसूचना

06 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 1050/XXXI(1)/2021-विविध–27/2014–तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम–2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड सचिवालय में सूचना विभाग के अन्तर्गत सृजित 02 अनुभागों में से "सूचना अनुभाग–02" को समाप्त करते हुये पर्यटन विभागान्तर्गत 01 अतिरिक्त अनुभाग सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– पर्यटन विभाग के अधीन नये अनुभाग सृजन के फलस्वरूप पूर्व से सृजित अनुभाग को "पर्यटन अनुभाग–01" एवं नवसृजित अनुभाग को "पर्यटन अनुभाग–02" के नाम से जाना जायेगा। पर्यटन अनुभाग–01 एवं अनुभाग–02 के अनुभागीय कोड क्रमशः VI–A–1 एवं VI–A–2 होंगे।

3– "सूचना अनुभाग–02" के समस्त कार्यों को "सूचना अनुभाग–01" को आवंटित किया जाता है।

4– उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1093/XXXI(1)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 एंव अधिसूचना संख्या–1600/XXXI(1)/2019, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

आज्ञा से,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/01–भाग 1–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या—UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जनवरी, 2022 ई0 (पौष 11, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार मुक्त प्रमाण पत्र

11 अक्टूबर, 2021 ई0

पत्रांक 647/I–1/2019–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का कार्यभार माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के परिपत्र संख्या–4523/XIV–a/34/Admin.A/2013, दिनांकित 17 सितम्बर, 2021 के द्वारा दिनांक 11–10–2021 से दिनांक 01–11–2021 तक (दिनांक 09–10–2021 को द्वितीय शनिवार अवकाश, 10–10–2021 को रविवार अवकाश को पूर्वयोजित एवं दिनांक 02–11–2021 से दिनांक 06–11–2021 तक दीपावली अवकाश एवं दिनांक 07–11–2021 को रविवार अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए) कुल बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप आज दिनांक 08–10–2021 को अपराह्न में छोड़ा गया।

प्रतिहस्ताक्षरित,

ह0 (अस्पष्ट)

जनपद न्यायाधीश,

पिथौरागढ़।

रश्मि गोयल,

सिविल जज (सीनियर डिवीजन),

पिथौरागढ़।

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 03, 2021

No. 369/XIV-a/51/Admin.A/2012--Ms. Anita Kumari, Civil Judge (Sr.Div.), Pauri Garhwal is hereby sanctioned:

1.	Earned leave for 06 days w.e.f. 03.07.2021 to 08.07.2021
2.	Medical Leave for 31 days w.e.f. 09.07.2021 to 08.08.2021

NOTIFICATION

December 07, 2021

No. 370/XIV/a-17/Admin.A/2009--Shri Hemant Singh, Principal Magistrate, Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 15.11.2021 to 27.11.2021 with permission to prefix 13.11.2021 & 14.11.2021 as second Saturday and Sunday respectively and suffix 28.11.2021 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 07, 2021

No. 371/XIV-a-24/Admin.A/2011--Shri Ravi Prakash, Chief Judicial Magistrate, Pauri Garhwal, is hereby sanctioned earned leave for 17 days w.e.f. 08.11.2021 to 24.11.2021 with permission to prefix 31.10.2021 as Sunday, 01.11.2021 being local holiday, 02.11.2021 to 06.11.2021 as Deepawali holidays & 07.11.2021 as Sunday holiday respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

03 दिसम्बर, 2021 ई0

संख्या 01/प्रशा0/6(4)/उविनिआ/2021–22/886–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

	1.	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष
	2.	सदस्य (विधि), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	3.	सदस्य (तकनीकी), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	4.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
	5.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
वाणिज्य एवं उद्योग	6.	अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
	7.	अध्यक्ष, सी0आई0आई0, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
	8.	अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज चैम्बर हाउस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड, काशीपुर	सदस्य
	9.	प्रेसीडेन्ट, उत्तराखण्ड होटल एसोसियेशन, देहरादून	सदस्य
कृषि	10.	संयुक्त निदेशक (नियोजन), कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।	सदस्य
श्रम	11.	उप श्रमायुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।	सदस्य
परिवहन	12.	चीफ इलैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।	सदस्य
शैक्षणिक एवं अनुसंधान	13.	विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।	सदस्य
	14.	अस्सिटेन्ट प्रोफेसर, डिपार्टमेन्ट ऑफ इकोनोमिक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।	सदस्य
उपभोक्ता प्रतिनिधि	15.	श्री एस0पी0सिंह राघव, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, 303, नर्मदा ब्लॉक, सिद्धार्थ पेराडाईज, पंडितवाड़ी, देहरादून।	सदस्य
	16.	श्री राजीव कुमार अग्रवाल, 32, इन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून।	सदस्य
गैर सरकारी संगठन	17.	श्री प्रकाश रावत, जय नन्दा वैलफेयर सोसाईटी (NGO) फ्लेट न0-06, लेन नं0-9, देवऋषि एनक्लेव, देहराखास, देहरादून।	सदस्य

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओ पर सलाह देना है:-

(i) major questions of policy;

(ii) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;

(iii) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;

(iv) protection of consumers interest; and

(v) electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय।

आयोग की आज्ञा से,

नीरज सती,

सचिव।

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्, देहरादून

नोटिस

06 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 612 / उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0–04 (2019–20)

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम–1965) (संशोधन) अधिनियम–2009 की धारा 28 अन्तर्गत।

मै0 ओजस स्मार्ट होम प्रा0लि0, जी–127, 12वाँ तल, हिमालय हाउस, 23 कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा ग्राम अनेकीहेतमपुर तहसील एवं जिला हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दुर्बल आय–वर्ग आवास निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है। योजनान्तर्गत कुल 1152 दुर्बल आय वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। योजना का विवरण निम्नवत् है:–

भूस्वामी का नाम	पता	प्रस्तावित स्थल / ग्राम का नाम	तहसील / जनपद	खसरा नं0	रकबा	योजना हेतु कुल रकबा
श्री इन्द्रजीत अरोड़ा व श्री प्रेमनाथ अरोड़ा	निवासी भूपतवाला जिला हरिद्वार	ग्राम अनेकीहेतम–पुर	तहसील एवं जिला हरिद्वार	खसरा नं0–1840, 1841 एवं 1842	2.4844 है0	2.4844 है0

इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :–

प्रश्नगत भूमि खसरा नं0 1840, 1841 एवं 1842 के कुल रकवा 2.4844 है0 चौदहीं अभिलेखो के अनुसार पूरब में खंसरा सं0 1840 की शेष भूमि, पश्चिम में खसरा सं0 1842 व 1844 उत्तर में खसरा सं0 1826, 1810, 1804 तथा दक्षिण में खसरा सं0 1848, 1849, 1850, 1851, 1852,1853 एवं 1854 है।

उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय, राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड https://ukavp.org पर देखा जा सकता है।

इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि ....से दिनांक ....तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं।

नोटिस

06 दिसम्बर, 2021 ई0

पत्रांक 613/उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0–04 (2019–20)

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम–1965) (संशोधन) अधिनियम–2009 की धारा 28 अन्तर्गत।

डेबीके सिस्टम्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ज्वालापुर जिला हरिद्वार में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दुर्बल आय–वर्ग आवास निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा यह योजना उक्त विकासक की सहभागिता से प्रस्तावित की गई है। योजनान्तर्गत कुल 512 दुर्बल आय–वर्ग भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। **योजना का विवरण निम्नवत् है:–**

भूस्वामी का नाम	पता	प्रस्तावित स्थल/ग्राम का नाम	तहसील/जनपद	खसरा नं0	रकबा	योजना हेतु कुल रकबा
श्री एस0ओ0एस0 फर्मा प्रा0	निवासी चिलकानगर, उप्पल, हैदराबाद	ग्राम ज्वालापुर	तहसील व जिला हरिद्वार	खसरा/ नं0–648, 649मि0	1.160 है0	1.160 है0

इस योजना में समाविष्ट क्षेत्र की सीमायें निम्नवत् प्रकार है :–

प्रश्नगत भूमि खसरा नं. 648 एवं 649 पर भूमि क्षेत्रफल 1.160 है0 की चौदहीं मौके के अनुसार पूरब में सड़क खसरा नं0 647 व पश्चिम में भूमि खसरा नं0 649 शेष भाग, उत्तर में भूमि खसरा सं0 648 भाग 646 एवं 638 व दक्षिण में भूमि खसरा सं0 648 का भाग एवं 649 है।

उपरोक्त योजना का नक्शा, योजना का विवरण तथा प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय, राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में किसी भी कार्यदिवस में 10:00 बजे पूर्वान्ह से 03:00 बजे अपरान्ह तक अथवा परिषद् की वेबसाइड https://ukavp.org पर देखा जा सकता है।

इस नोटिस के प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि ....से दिनांक ....तक योजना के सम्बन्ध में किसी भी

प्रकार की आपत्ति उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय राजीव गांधी बहुद्देशीय काम्प्लेक्स पंचम तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून में प्रस्तुत की जा सकती हैं।

प्रकाश चन्द्र दुम्का,
अपर आवास आयुक्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/01–भाग 1–क–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 01 जनवरी, 2022 ई0 (पौष 11, 1943 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैने अपना नाम रागिनी देवी से बदलकर रागिनी चौहान कर लिया हैं। भविष्य में मुझे रागिनी चौहान पुत्री हरिराज सिंह के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रागिनी चौहान पुत्री हरिराज सिंह
निवासी 29, टाइप–3, सैक्टर–1, रानीपुर
रेंज, हरिद्वार, भेल, उत्तराखण्ड–249403

सूचना

मैंने अपना नाम मन्जु से बदल कर शादी के उपरान्त मन्जु सैन कर लिया है। भविष्य में मुझे मन्जु सैन पत्नी रामनिवास सैन के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मन्जु सैन पत्नी रामनिवास सैन
निवासी 103, टाइप–3, सैक्टर–1
इलाहबाद बैंक के पास, बी0एच0ई0एल0
हरिद्वार, उत्तराखण्ड–249403

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 हिन्दी गजट/01–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।